

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

—:: मंत्रालय ::—

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

जिला रायपुर

// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12/12/2019

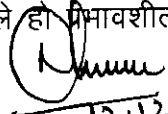
क्रमांक 1445/F-2014-04-00769/ब-4/चार :- वित्त विभाग द्वारा जारी लिंक अधिकारी आदेश दिनांक 01.10.2019 के अतिरिक्त श्री मनोज तिवारी, अवर सचिव एवं सुश्री हिमशिखा साहू, शोध अधिकारी के अवकाश अवधि में शासकीय कार्य संपादन हेतु उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 3 एवं 4 में अंकित अधिकारियों को लिंक अधिकारी नामांकित किया जाता है :-

क्र	अधिकारी का नाम	प्रथम लिंक अधिकारी	प्रथम लिंक अधिकारी की अनुपस्थिति में द्वितीय लिंक अधिकारी
1	2	3	4
1	श्री मनोज तिवारी	सुश्री हिमशिखा साहू	श्री आनंद मिश्रा,
2	सुश्री हिमशिखा साहू	श्री मनोज तिवारी	श्री ऋषभ पाराशर

2- वित्त विभाग में पदस्थ समस्त अधिकारी अवकाश में जाने के पूर्व अपने लिंक अधिकारियों से अनौपचारिक चर्चा कर सुनिश्चित करेंगे कि उनके अवकाश अवधि में प्रथम लिंक अधिकारी एवं द्वितीय लिंक अधिकारी अवकाश में तो नहीं है अथवा जा रहे हैं।

3- उक्त लिंक अधिकारी, संबंधित अधिकारी के अवकाश/भ्रमण की अवधि में नस्तियों का निराकरण करेंगे तथा संबंधित अधिकारी अवकाश पर जाते समय अपने लिंक अधिकारी को कार्यों/नस्तियों के बारे में आवश्यक जानकारी देने के पश्चात् ही मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।

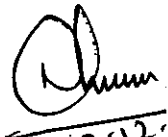
4- उक्त आदेश किसी भी अधिकारी के अन्यत्र स्थानांतरण के फलस्वरूप उनके स्थान पर नवीन पदस्थापना होने तक अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावशील होगा।


12.12.19
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 1446/F-2014-04-00769/ब-4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12/12/2019
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टॉफ ऑफिसर, मंत्रालय,
2. सचिव/अपर सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय,
3. संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय,
4. अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय,
5. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय,

— की ओर सूचनार्थ।


12.12.19
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग